

फर्द अहकाम

रामप्यारी देवी बनाम

लक्ष्मी देवी

जय : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र 175/2024

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

संक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
28.02.25	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब नहीं देकर सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख०नं० 131 रकबा 4.4384 है० व ख०नं० 129, 19 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.3035 स्थित ग्राम तिलपट्टी पटवार हल्का राजपुरा पातलवास भू०अ०नि० पाटन तह० तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 199/2024 उनवान रामप्यारी देवी बनाम लक्ष्मी देवी के निर्णय तक विवादित आराजी पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।</p>	

सहायक कलक्टर
बस्सी, जिला जयपुर